# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

## निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **55/2016** अपील (राजस्व)

1. श्री लक्ष्मण पिता सवा मीणा, निवासी बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर हाल निवासी गॉव वेलनिया तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर (राज.)

2. श्रीमीत सुनीता पुत्री स्व. श्री सवा जी मीणा, निवासी बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर हाल निवासी पीपली ए, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

**—— अपीलान्टगण**

**बनाम**

1. श्री नंगा पिता स्व. श्री रूपा मीणा
2. श्री हामजी पिता स्व. श्री रूपा मीणा
3. मु. लच्छु पुत्री स्व. श्री रूपा मीणा
4. मु. थावरी पुत्री स्व. श्री रूपा मीणा
5. श्री फुलचन्द पिता दिता मीणा (माता मंगली)
6. मु. अम्बावी पुत्री स्व. श्री रूपा मीणा
7. मु. मीरा पुत्री स्व. श्री रूपा मीणा

सर्वनिवासीयान बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

**—— रेस्पोडेन्टगण**

**अपील बनाराजगी ग्राम बारापाल के नामान्तरकरण संख्या 615 दिनांक 15.10.2001 अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)**

**उपस्थित** : 1. श्री नरेन्द्र सोनी, अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. श्री हितेष वैष्णव, विपक्षी संख्या 2, 4, 5, 7
3. श्री अरूण व्यास, विपक्षी संख्या 1, 3, 6

# निर्णय

**दिनांकः—23.03.18**

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बारापाल, जिला उदयपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 615 दिनांक 15.10.01 जो कि खातेदार रूपा पिता माला मीणा की मृत्यु के उपरान्त विरासत से खोला गया है उससे दुःखित एवं असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। जिसमें निवेदन किया गया है कि बारापाल पटवार हल्का द्वारा मौजा बारापाल की आराजी संख्या 2730 से 2734, 2739 से 2742, 3289, 3299, 3300, 3305 से 3308, 3313, 3316 कुल किता 18 कुलिया क्षेत्रफल 3.0900 हैक्टर भूमि जो कि अपीलार्थी के बाप दादाओ के वक्त की होकर पूर्व मे यह भूमि श्री रूपा पिता माला मीणा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी। उक्त श्री रूपा जी का स्वर्गवास हो चुका हैं। उनके विधिक वारीसान अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेंटगण हैं। रूपा जी के 3 पुत्र जिनमें नंगा व हामजी है, जो रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 है तथा एक पुत्र सवा जी थे जिनका स्वर्गवास हो चुका हैं। सवा जी के एक पुत्र लक्ष्मण व पुत्री सुनिता है जो अपीलान्ट संख्या 1 व 2 हैं। उनकी पत्नि केसरी का स्वर्गवास हो चुका हैं। इसी प्रकार रूपा जी की 5 पुत्रियॉ है जो रेस्पोडेंट संख्या 3, 4, 6 व 7 हैं तथा एक पुत्री मंगली जिसका स्वर्गवास हो चुका हैं। मंगली का एकमात्र पुत्र फुलचन्द हैं जो रेस्पोडेंट संख्या 5 हैं। रूपाजी की दो पत्नियॉ थी जिनका भी स्वर्गवास हो चुका हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बारापाल द्वारा स्वर्गीय रूपा जी के विरासत से खोले गये नामान्तरकरण में रेस्पोडेंट संख्या 7 जो स्वर्गीय रूपा जी की पुत्री हैं एवं अपीलान्ट लक्ष्मण व सुनिता जो रूपा जी के पुत्र सवा के वारीसान होकर पुत्र पुत्री हैं। जिनका नाम रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 द्वारा गलत तरीके से सही तथ्यो को छिपाकर नामान्तरकरण खुलवा दिया। जबकि उक्त आराजीयातो में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 रूपा जी की वैध वारीसान होने से उनका भी उतना ही हक एवं अधिकार है जितना रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 का हैं। स्वर्गीय रूपा जी की मृत्यु के उपरान्त तीनो पुत्रो व पॉचो पुत्रियों के हिस्से की भूमि में बराबर 1/8 व 1/8 हिस्सा हैं। जबकि खाते में 1/6 ही गलत रूप से अंकित कर दिया गया हैं। वर्तमान में

भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के नाम पर होने से इनके द्वारा अपीलान्ट को भूमि पर काश्त करने में रूकावट पैदा कर रहे हैं एवं भूमि विक्रय की धमकी देते हैं। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर स्वर्गीय रूपा जी के सभी वैध वारीसानो के नाम की सही जॉच कर नये सीरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को आदेशित कराना फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2, 5 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 का वर्णित भूमि में हक व हिस्सा होना बताया गया हैं। साथही नामान्तरकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 7 का नाम अंकित होना रह गया हैं। जिनका नाम भी अंकित किया जावें। मौके पर कब्जा काश्त होना स्वीकार हैं।

रेस्पोडेंट संख्या 4 थावरी द्वारा भी उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब में निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 का वर्णित भूमि में हक व हिस्सा होना बताया गया हैं। साथही नामान्तरकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 7 का नाम अंकित होना रह गया हैं। जिनका नाम भी अंकित किया जावें। मौके पर कब्जा काश्त होना स्वीकार हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टगण द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि स्वर्गीय रूपा पिता माला मीणा का स्वर्गवास हो चुका हैं जिनके वैध वारीसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बारापाल द्वारा स्वर्गीय रूपा जी की मृत्यु उपरान्त विरासत से खोले गये नामान्तरकरण में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेंट संख्या 7 का नाम दर्ज किये जाने से रह गया। जबकि मौके पर इनका हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त होकर निरंतर काश्त की जा रही हैं। अतः अब भी नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गिर्वा को प्रदान किये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षीगणो द्वारा अपील अपीलान्टगण का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि यदि अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 7 का नाम वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्से तक दर्ज किया जाता है तो रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 को कोई आपत्ति नहीं हैं। जवाब में भी स्वीकार किया गया हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ताओ द्वारा किये गये कथनो पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 सभी स्वर्गीय श्री रूपा पिता माला मीणा के वैध वारीसान होने से स्वर्गीय रूपा की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त सम्पत्ति में सभी का बराबर बराबर अधिकार हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के नाम भूमि दर्ज की गई हैं। जबकि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेंट संख्या 7 भी बराबर की हक व हिस्सेदारी की अधिकारीता रखते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बारापाल द्वारा निर्णित ग्राम बारापाल तहसील गिर्वा का नामान्तरकरण संख्या 615 दिनांक 15.10.2001 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बारापाल को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वह स्वर्गीय रूपा पिता माला मीणा के सभी वैध वारीसानो की विधिवत जॉच कर नये सीरे से स्वर्गीय रूपा पिता माला मीणा निवासी बारापाल की वादग्रस्त भुमि में सभी वारीसानो के नाम विरासत से नया नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय की प्रति उपतहसीलदार बारापाल को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**